मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 188/2023
जीसीएनएस नम्बर :– 2023/576

1. चेनराम पिता नारायण जी डांगी जाति डांगी उम्र 27 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ राज.

– वादी

बनाम

1. पृथ्वीराज पिता भगवान जी डांगी जाति डांगी उम्र 50 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ राज.
2. भूमियारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा
3. श्री मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमीटेड मकराना रोड मदनगंज किशनगढ अजमेर 17 ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर एवं आर०के० नगर निम्बाहेडा जरिये युनिट हेड नितिन जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन जाति जैन आयु 48 वर्ष निवासी भीलवाडा हाल मुकाम आर0के0 नगर वण्डर सीमेन्ट निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,88.188. 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण आज वादी की और से अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली एवं प्रतिवादी संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री ऋषभ सेठिया की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 09.10.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/–रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार क्षेत्र बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 205 की आराजी नम्बर 18 रकबा 0.2300 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 577 रकबा 0.2400 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 की आराजी नम्बर 367 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 402 रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि आराजीयात का बंटवारा खातेदारों के मध्य उनके दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउ[illegible] निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/1760 दिनांक 31.10.2[illegible] क[illegible]म से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत कि[illegible] से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। फर्द[illegible]वाद अन्तिम[illegible] किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बडोलीमाधोसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

चेनराम बनाम पृथ्वीराज
प्रकरण संख्या 188 / 2023
GCMS NO 2023/576

1–श्री चेनराम दत्तक पुत्र नारायण डांगी सा. देह खातेदार

आराजी नं	रकबा(है.)	लगान रूपये में
402	0.2900	5.51

....

कुल किता– 1 0.2900 हैक्टेयर 5.51 रूपये

....

2– श्री पृथ्वीराज पुत्र भगवानलाला डांगी सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी नं.	रकबा(है.)	लगान रूपये मे
367	0.27	11.34
577	0.24	4.56

....

कुल किता–2 . 0.51 हैक्टेयर 15.90 रूपये

....

3– मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड मकराना रोड मदनगंज किशनगढ अजमेर, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर एवं आर0के0नगर ,निम्बाहेडा

आराजी नं	रकबा(है.)	लगान रूपये में
18	0.23	4.37

....

कुल किता– 1 0.23 हैक्टेयर 4.37 रूपये

....

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज तारीख 01.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

1/11/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:55 IST
Reason: SelfAttested